

जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज अधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम हड़मानराम पुत्र प्रभुराम के स्थान पर हनुमानराम पुत्र प्रभु राम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदी एवं अप्रार्थी सं.1 राजपैरोकार ने जवाब अनुसार हड़मानराम पुत्र प्रभुराम के स्थान पर हनुमानराम पुत्र प्रभु राम दर्ज किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह तार्ईद होता है कि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व रिकॉर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकॉर्ड दुरस्ती से सुलभता रहेगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा कमेडिया के खाता संख्या 488 के खसरा नम्बर 762/387 रकबा 4.9453 हैक्टेयर, में प्रार्थी का नाम हड़मानराम पुत्र प्रभुराम के स्थान पर हनुमानराम पुत्र प्रभु राम दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश : —

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। मौजा कमेडिया के खाता संख्या 488 के खसरा नम्बर 762/387 रकबा 4.9453 हैक्टेयर, में प्रार्थी का नाम हड़मानराम पुत्र प्रभुराम के स्थान पर हनुमानराम पुत्र प्रभु राम दुरुस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार डेह को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक ...26.06.2024... को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक क्लर्क (एस.डी.ओ.)
इजलास (नागौर)